

छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 28-06-2021 को 13.30 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे नरिंदर सिंह, अध्यक्ष
 2. श्री.हर्षा, एच.ई., सदस्य सचिव
 3. मनोनीत सदस्य – रिक्त
1. टिप्पण

एक कल्याण उपाय के रूप में छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिए धन के प्रावधान के संबंध में संचलन द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 17-05-2021 को नोट करने के लिए - सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड की समूह बीमा योजना।

संकल्प सं. 01: विख्यात

2. वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट

छावनी बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम की वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन करना।

संकल्प सं. 02: माना और स्वीकृत किया गया।

3. भारत उद्यमों की खरीद माइल्ड स्टील ट्राइसाइकिल या रिक्शा (ट्राइसाइकिल)
संदर्भ: सीबीआर.सं.3 दिनांक 26-03-2021

वर्ष 2021 -2022 के लिए स्वास्थ्य विभाग सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम द्वारा दरवाजे से दरवाजे तक कचरा संग्रहण के लिए 30 भारत एंटरप्राइजेज माइल्ड स्टील ट्राइसाइकिल या रिक्शा- 14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) की खरीद और आपूर्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

कार्यालय रिपोर्ट :-

सरकार ई बाजार (जेम) आरए संख्या : जेम/2021/आरए/74535,दिनांक 16-04-2021, भारत एंटरप्राइजेज माइल्ड स्टील ट्राइसाइकिल की आपूर्ति के लिए तकनीकी रिवर्स नीलामी या रिक्शा-14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए सेंट थॉमस माउंट कम पल्लावरम 26.04.2021 को 13.30 बजे खोला गया था 5 निविदाकारों की संख्या ने रिवर्स नीलामी में भाग लिया है। उपरोक्त रिवर्स नीलामी की जांच पर, मैसर्स घनश्याम फैब्रिकेटर्स ने तकनीकी विनिर्देश मेक प्रस्तुत नहीं किया है: भारत एंटरप्राइजेज माइल्ड स्टील ट्राइसाइकिल या रिक्शा- 14887/2014 मॉडल है: (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) इस कार्यालय द्वारा उद्धृत। इसलिए मैसर्स घनश्याम फैब्रिकेटर (अयोग्य) को अस्वीकार कर दिया गया है और शेष 04 निविदाकारों (1. झपाक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2.जेईएफई इंजीनियरिंग, 3.जेपीएस एजेंसी, 4.आरएसवी एसोसिएट्स) को वित्तीय रिवर्स नीलामी के लिए योग्य पाया गया और इसे 07-05-2021 को दोपहर 13.30 बजे छावनी बोर्ड के

कार्यालय में समिति सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया। जेम के माध्यम से उद्धृत रिवर्स नीलामी की दर इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	वस्तु का नाम	कर सहित उद्धृत दर	कर सहित उद्धृत कुल दर	टिप्पणियों
1	झापाक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	स्वास्थ्य विभाग के लिए तिपहिया या रिक्शा- 14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) कचरा संग्रहण (30 संख्या)	रु.26,766/-	रु.8,02,980/-	निम्नतम
2.	जेईएफई इंजीनियरिंग	स्वास्थ्य विभाग के लिए तिपहिया या रिक्शा- 14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) कचरा संग्रहण (30 संख्या)	रु.28,000-30	रु.8,40,009/-	
3.	जेपीएस एजेंसी	स्वास्थ्य विभाग के लिए तिपहिया या रिक्शा- 14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) कचरा संग्रहण (30 संख्या)	रु.27,800/-	रु.8,34,000/-	
4.	आरएसवी एसोसिएट्स	स्वास्थ्य विभाग के लिए तिपहिया या रिक्शा- 14887/2014 (बीई_जीआरआर-सिंगल बीएन) कचरा संग्रहण (30 संख्या)	दर उद्धृत नहीं है		

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं.03: बोर्ड ने सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी क्षेत्र में जीईएम' माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए ट्राइसाइकिल की खरीद के लिए झापाक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्धृत 8,02,980 / - (जीएसटी सहित) की न्यूनतम राशि पर विचार और अनुमोदन किया।

4. कोविड 19 के कारण लॉकडाउन के लिए कल्याण मंडपम के किराए की वापसी और इसके वित्तीय प्रभाव

कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के लिए कल्याण मंडपम के किराए की वापसी और इसके वित्तीय प्रभावों पर विचार करना। चल रही महामारी COVID-19 के कारण, तमिलनाडु सरकार द्वारा मई 2021 के दूसरे सप्ताह (यानी 10 मई 2021) से केवल 50 व्यक्तियों के लिए मैरिज हॉल के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए एक लॉकडाउन लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, राज्य सरकार (तमिलनाडु सरकार) ने लॉकडाउन को 28.06.2021 तक बढ़ा दिया है।

इस संबंध में, जिन लोगों ने तालाबंदी की तारीखों के बीच कल्याण मंडपम के लिए तारीखें बुक की हैं, वे स्थिति के कारण कल्याण मंडपम का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा, जिन लोगों ने दूर-दराज के स्थानों से बुकिंग की थी, उन्होंने कहा कि वे विवाह हॉल में आने और व्यवस्था करने / भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि लॉकडाउन सार्वजनिक और निजी परिवहन को प्रभावित कर रहा है।

जबकि, जनता से अनुरोध है कि इस कार्यालय द्वारा मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई पूरी भुगतान राशि (किराया और जमा) वापस कर दी जाए।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में 10 मई 2021 से लॉकडाउन अवधि (जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है) के अंत तक कल्याण मंडपम की उपरोक्त स्थिति पर निर्णय और समाधान कर सकता है।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं.04: माना और स्वीकृत।

5. अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

नीचे उल्लिखित कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अनुबंध समाप्त / समाप्त होने पर	मानदेय	(इस तिथि से)
1.	श्री रंजीत कुमार	वैधिक सलाहकार	19-06-2021	रु.10,000/-	21-06-21
2.	श्री साहुल हमीद.आर	फार्मिसिस्ट (सिद्ध)	20-06-2021	रु.20,000/-	22-06-21
3.	श्री नरेश.पी	फार्मिसिस्ट (आयुर्वेद)	20-06-2021	रु.20,000/-	22-06-21
4.	श्रीमती लीमा रोज़	स्वास्थ्य सहायक	20-06-2021	रु.14,384/-	22-06-21
5.	श्रीमती मागरिट मालिनी	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.36,400/-	01-07-21
6.	श्री दिवाकर	पीईटी	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
7.	श्री.डी.रवि	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
8.	श्रीमती अमुधा	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
9.	श्रीमती वेल्लंकत्री मारियाल	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
10.	श्रीमती हेलेन जॉयस	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
11.	श्रीमती विक्टोरिया	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21
12.	श्रीमती शांति	एसएमसी शिक्षक	30-04-2021	रु.18,560/-	01-07-21

उपरोक्त के संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों को संदर्भ और अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं.05: बोर्ड ने मामले पर विस्तार से विचार किया और सीबीएलए और कर्मचारियों की नियुक्ति को निम्नानुसार अनुमोदित किया:

- श्री रंजीत कुमार को सीबीएलए के रूप में 11 महीने की अवधि के लिए 21.06.2021 से 10,000/- रुपये के मासिक रिटेनर शुल्क पर नियुक्त किया गया है।
- क्रमांक 2, 3 और 4 को दिनांक 22.06.2021 से 31.07.2021 तक कार्यसूची पक्ष में उल्लिखित मानदेय के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। बोर्ड ने जेम के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी को नियुक्त करके इन पदों के लिए अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया।
- क्रमांक 5 से 12 को कार्यसूची पक्ष में उल्लिखित मानदेय के लिए दिनांक 01.07.2021 से अनुबंध के आधार पर 3 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड ने प्रशासनिक सुविधा के लिए और भविष्य में कानूनी मुद्दों से बचने के लिए जेम में उपलब्ध जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सभी तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

6. छावनी बोर्ड अस्पताल के लिए नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं (आउटसोर्सिंग) की सगाई।

अनुबंध के आधार पर छावनी बोर्ड अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

सहायक चिकित्सा अधिकारी (एएमओ) से प्राप्त पत्र के अनुसार, न्यूबर्ग एर्लिच लेबोरेटरीज का अनुबंध दिनांक 08-06-2021 के पत्र द्वारा दिनांक 01-05-2021 को समाप्त हो गया है, आगे एएमओ ने बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह 11 महीने की एक और अवधि के लिए न्यूबर्ग एर्लिच लेबोरेटरीज की सेवाओं को संलग्न करे।

उपरोक्त के संबंध में, छावनी अस्पताल द्वारा एकत्र की जाने वाली दरों के साथ आउटसोर्सिंग लैब को भुगतान की जाने वाली दरों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है।

क्रम संख्या	परीक्षण का नाम	आउटसोर्सिंग प्रयोगशाला सेवाओं को भुगतान की जाने वाली दर	छावनी अस्पताल द्वारा वसूल की जाने वाली दर
1.	टीएफ़टी (टी3, टी4, टीएसएच)	रु. 90/-	रु. 120/-
2.	एफ़टीएफ़टी(एफ़टी3, एफ़टी4, टीएसएच)	रु. 150/-	रु. 150/-
3.	एचबीए1सी	रु. 150/-	रु. 220/-

संग्रह के लिए उपर्युक्त दरों को सीबीआर संख्या 04, दिनांक 21-05-2019 द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रासंगिक दस्तावेजों को अनुमोदन के लिए मेज पर रखा गया है।

संकल्प सं.06: बोर्ड ने मैसर्स न्यूबर्ग एर्लिच द्वारा छावनी बोर्ड अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं (आउटसोर्सिंग) की नियुक्ति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

7. तमिलनाडु सरकार के आदेश के अनुसार कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन का भुगतान।

संदर्भ: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (पी 1) के तहत तमिलनाडु सरकार के आदेश संख्या 256, दिनांक 28-05-2021.

उपरोक्त संदर्भित सरकारी आदेश के अनुसार कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन भुगतान पर विचार एवं अनुमोदन करना।

उपरोक्त संदर्भित तमिलनाडु सरकार के आदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए 30,000/- रुपये, मिडवाइफ के पद के लिए 20,000/- रुपये और स्वास्थ्य अधीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कंप्यूटर सहायक के पद के लिए

15,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि, और 2021 के अप्रैल, मई और जून के महीने में लगातार काम कर रहे कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सफाईवाला प्रदान किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में, यह भी सूचित किया जाता है कि समझौता ज्ञापन 1969 के अनुसार। उपरोक्त संदर्भित तमिलनाडु सरकार का आदेश छावनी बोर्ड के कार्यालय पर लागू होता है।

साथ ही तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2021) से लगातार कार्य कर रहे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के सहायक चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधीक्षक से प्राप्त नाम सूची आपके अवलोकनार्थ पटल पर रखी गई है। एएमओ और एचएस से प्राप्त नाम सूची के अनुसार भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि रु.58,85,000/- (अट्ठावन लाख पचासी हजार रुपये मात्र) है।

संकल्प सं.07: बोर्ड ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और केवल पात्र अस्पताल कर्मचारियों और शेष कर्मचारियों के लिए सीडीए, चेन्नई या संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सीईओ को लागू प्रोत्साहन का भुगतान करने का निर्णय लिया और आगामी बोर्ड बैठक में मामले को रखें।

8. सेंट थॉमस माउंट में चतुर्थ श्रेणी स्टाफ क्वार्टर (सफाईवाला के लिए) का निर्माण

कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रबंधन के तहत जीएलआरएस नंबर 14-डी, सी भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि में सेंट थॉमस माउंट पर चतुर्थ श्रेणी स्टाफ क्वार्टर (सफाईवाला के लिए) ब्लॉक - ए में 4 इकाइयों (जी + 1) के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करना।

इस संबंध में, चित्र तैयार करना, संरचनात्मक डिजाइन और विस्तृत अनुमान और सार अनुमान, आदि, मेसर्स सर्विफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा तैयार किए गए हैं। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी मद्रास) द्वारा सत्यापित और सत्यापित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि छावनी बोर्ड खाता नियम, 2020 के नियम संख्या 116 (2) के अनुसार, 50 लाख तक के मूल कार्यों के तकनीकी प्राक्कलनों की समीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी सहायक अभियंता है और तदनुसार ऊपर उद्धृत अनुमानों का इस बोर्ड के सहायक अभियंता द्वारा पुनरीक्षण किया गया है।

विषय कार्य का अनुमानित मूल्य रु.49,95,459/- (जीएसटी सहित) है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि छावनी बोर्ड खाता नियम, 2020 के नियम संख्या 117 (सी) (i) के अनुसार, यह कहा गया है कि

"बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड निष्पादन की मंजूरी दे सकता है –

i) मूल कृतियों की कीमत पचास लाख रुपये से कम होने का अनुमान है।"

यह प्रस्तुत करना उचित है कि, पीडीडीई, एससी, पुणे ने अपने पत्र संख्या 8078/सौर ऊर्जा/एसटीएम/डीई/2017 दिनांक 16.02.2021 के माध्यम से मूल कार्यों के संबंध में भी सिफारिशें दी हैं। मुख्य अंश इस प्रकार है:

छावनी बोर्ड खाता नियम 2020 के नियम 117 (सी) (i) के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ कहता है - "बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड मूल कार्यों के निष्पादन को मंजूरी दे सकता है, जिसका मूल्य पचास लाख रुपये से कम है"

वित्तीय वर्ष 2021-2022 (संशोधित) और 2022-2023 (मूल) के लिए बजट शीर्ष डी1 (ए) के तहत आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ई-निविदा को केंद्रीय खरीद पोर्टल (भारत सरकार, ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट) में प्रकाशित किया जाए और विषय कार्य के लिए समाचार पत्र।

सक्षम प्राधिकारी जीओसी-इन-सी, एससी, पुणे द्वारा बजट की मंजूरी के बाद और सभी निविदा प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करके कार्य निष्पादित किया जाएगा।

बोर्ड इस मामले पर छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लाभ और कल्याण में विस्तार से विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है।

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं.08: माना और स्वीकृत किया गया।

9. सी.पल्लावरम में चतुर्थ श्रेणी स्टाफ क्वार्टर (सफाईवाला के लिए) का निर्माण

छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत सी भूमि के रूप में वर्गीकृत जीएलआरएस संख्या 388-284-एफ वाली भूमि में सी पल्लावरम में चतुर्थ श्रेणी स्टाफ क्वार्टर (सफाईवाला के लिए) ब्लॉक - बी में 4 इकाइयों (जी + 1) के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करना।

इस संबंध में, चित्र तैयार करना, संरचनात्मक डिजाइन और विस्तृत अनुमान और सार अनुमान, आदि, मेसर्स सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा तैयार किए गए हैं। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी मद्रास) द्वारा सत्यापित और सत्यापित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी निवेदन किया जाता है कि छावनी परिषद लेखा नियमावली, 2020 के नियम संख्या 116(2) के अनुसार 50 लाख तक के मूल कार्यों के तकनीकी प्राक्कलनों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी सहायक अभियंता है और तदनुसार ऊपर उद्धृत अनुमानों का इस बोर्ड के सहायक अभियंता द्वारा पुनरीक्षण किया गया है।

विषय कार्य के लिए अनुमानित मूल्य रु.49,95,459/- (जीएसटी सहित) है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि छावनी बोर्ड खाता नियम, 2020 के नियम संख्या 117 (सी) (i) के अनुसार, यह कहा गया है कि

"बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड निष्पादन की मंजूरी दे सकता है -

i) मूल कृतियों की कीमत पचास लाख रुपये से कम होने का अनुमान है।"

यह प्रस्तुत करना उचित है कि, पीडीडीई, एससी, पुणे ने अपने पत्र संख्या 8078/सौर ऊर्जा/एसटीएम/डीई/2017 दिनांक 16.02.2021 के माध्यम से मूल कार्यों के संबंध में भी सिफारिशें दी हैं। मुख्य अंश इस प्रकार है:

छावनी बोर्ड खाता नियम 2020 के नियम 117 (सी) (i) के अनुसार जो अन्य बातों के साथ-साथ बताता है - "बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड पचास लाख रुपये से कम मूल्य के मूल कार्यों के निष्पादन को मंजूरी दे सकता है"

वित्तीय वर्ष 2021-2022 (संशोधित) और 2022-2023 (मूल) के लिए बजट शीर्ष डी1 (ए) के तहत आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विषय कार्य हेतु ई-निविदा केन्द्रीय प्रापण पोर्टल (भारत सरकार, ऑनलाइन ई-प्रापण वेबसाइट) एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये।

सक्षम प्राधिकारी जीओसी-इन-सी, एससी, पुणे द्वारा बजट की मंजूरी के बाद और सभी निविदा प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करके कार्य निष्पादित किया जाएगा।

बोर्ड इस मामले पर छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लाभ और कल्याण में विस्तार से विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है।

संबंधित फाइलें और कागजात मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं.09: माना और स्वीकृत किया गया।

10. सेंट थॉमस और पल्लावरम में छावनी स्कूलों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना

- संदर्भ: 1. इस कार्यालय के पत्र संख्या एसटीएम / वर्क्स / सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स / 0205 दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से जीओसी इन चीफ, पुणे को रूफटॉप सोलर पावर प्लांट तीन नंबर कुल 20 किलोवाट की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
2. यह कार्यालय पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स/2456 दिनांक 16.12.2020।
3. पीडीडीई, एससी, पुणे पत्र संख्या 8078/सौर ऊर्जा/एसटीएम/डीई/2017 दिनांक 16.02.2021।

ऊपर उद्धृत संदर्भ (1) के साथ, बोर्ड ने सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में छावनी स्कूलों में छत के भवनों पर कुल 20 किलोवाट के तीन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

रुपये 12,50,000/- की अनुमानित लागत से 20 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पावर प्लांट (3 नंबर) की स्थापना के लिए कैंटोनमेंट कोड 1924 के नियम 19 (बी) के साथ पठित नियम 17 (ए) के तहत सी में जीओसी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

हालाँकि, पीडीडीई, एससी, पुणे ने संदर्भ (3) के माध्यम से बोर्ड को सूचित किया है कि छावनी बोर्ड खाता नियम 2020 के नियम 117 (सी) (i) के अनुसार जो अन्य बातों के साथ-साथ बताता है - "बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन, बोर्ड पचास लाख रुपये से कम मूल्य के मूल कार्यों के निष्पादन को मंजूरी दे सकता है", बोर्ड

को अपने स्तर पर परियोजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि धन की उपलब्धता और 2021 - 2022 के लिए बजटीय अनुमोदन हो।

इसलिए, बोर्ड मंजूरी के लिए छावनी बोर्ड खाता नियम, 2020 के नियम 117 (सी) (i) के तहत 12,50,000/- रुपये की अनुमानित लागत के विषय प्रस्ताव पर फिर से विचार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 (संशोधित) और 2022-2023 (मूल) के लिए बजट शीर्ष डी1 (एफ) के तहत आवश्यक बजट प्रावधान किए गए हैं।

संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है।

संकल्प सं.10: माना और स्वीकृत किया गया।

11. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2400 वर्ग फुट को मापने वाले जीएलआरएस संख्या 389/9 में पूरी तरह से समाप्त पट्टे की पूरी अवधि से परे पट्टे का विस्तार।

जीएलआरएस संख्या 389/9 के संबंध में पूरी तरह से समाप्त हो चुके पट्टे की पूर्ण अवधि से परे पट्टे के विस्तार पर विचार करने के लिए, पट्टे की पूर्ण अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित संशोधित एसटीआर दर पर पट्टा किराए के भुगतान पर 01-01-2020 से 31-12-2021 तक की अवधि के लिए 2400 वर्ग फुट के सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी को मापना।

जीएलआरएस नंबर 389/9 में रक्षा भूमि, 2400 वर्ग फुट, जिसे बी -3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के अंदर स्थित है और छावनी बोर्ड के प्रबंधन के तहत रखा गया था, जिसे सीएलएआर 1925 की अनुसूची VI में 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जो पट्टेदार के विकल्प पर 90 साल तक की अवधि के लिए 17-05-1929 से आवास के उद्देश्य के लिए रुपये 3/- के वार्षिक किराए पर दिया गया था तथा उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय पल्लावरम में पुस्तक-1, खंड 18, पृष्ठ 262 से 268 के 1929 के दस्तावेज़ संख्या 1503 के रूप में 30-11-1929 को पंजीकृत किया गया।

पहली अवधि के लिए लीज 16-05-1959 को समाप्त हो गई और 30 साल की दूसरी अवधि के लिए लीज को 17-05-1959 से सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीनीकरण लीज एग्रीमेंट के माध्यम से नवीनीकृत किया गया था और उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, पल्लावरम में दस्तावेज़ संख्या 1607 के 60, पुस्तक-1, खंड 206, पृष्ठ 165 से 168 तक 11-06-1960 को 4.50 रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत किया गया।

दूसरे कार्यकाल के लिए लीज 16-05-1989 को समाप्त हो गई और तीसरे के लिए लीज और सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में निष्पादित नवीकरण पट्टा समझौते के माध्यम से 30 वर्ष की अंतिम अवधि 17-05-1989 से नवीनीकृत की गई है और और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार कार्यालय अलंदूर में 92 के दस्तावेज़ संख्या 2338, पुस्तक - 1, खंड 921, पृष्ठ 5 से 7 के रूप में 20-07-1992 को 7/- रुपये के वार्षिक किराए पर पंजीकृत किया गया।

30 साल की तीसरी और आखिरी अवधि के लिए लीज यानी 90 साल की कुल अवधि (पूर्ण अवधि) 16-05-2019 को समाप्त हो गई है।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि), दिनांक 10-03-2017 द्वारा जारी और 11013/2/2016/डी(भूमि), दिनांक 31-12-2018, पट्टेदार श्री के.राजकुमार ने अपने पत्र दिनांक 23-09-2019 के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की है और 10-12-2019 को 17-05-2019 से 31-12-2019 तक की अवधि के लिए 2400 वर्ग फुट मापने वाले जीएलआरएस संख्या 389/9 में पट्टे के विस्तार के लिए तथा शासन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संशोधित दर पर भूमि पट्टा किराए का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार को पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/38/2668 के माध्यम से मांग नोटिस जारी किया है, दिनांक 17-12-2019 को उनसे 1,81,361/- रुपये की राशि भेजने के लिए कहा जीएलआरएस संख्या 389/9 में 2400 वर्गफीट की भूमि के संबंध में 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए आवासीय दर पर लीज रेंट की बकाया राशि के संबंध में। पट्टेदार ने सीबी 4बी रसीद संख्या सी47748, दिनांक 18-12-2019 के तहत 1,81,361/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान किया है।

चूंकि पट्टेदार श्री के राजकुमार ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार पट्टे की पूर्ण अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2400 वर्ग फुट के जीएलआरएस नंबर 389/9 में पट्टे के विस्तार को 17-05-2019 से 31-12-2019 की अवधि के लिए आवासीय उद्देश्य के लिए बोर्ड में मामले को सीबीआर नंबर -11 दिनांक 23-12-2019 के माध्यम से संदर्भित करके अनुमोदित किया गया है और डीजी, डीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, दिनांक 23-03-2017 के माध्यम से प्राप्त सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में संशोधित पट्टा समझौता निष्पादित किया गया है और उप-पंजीकरण कार्यालय पल्लावरम में दस्तावेज संख्या 5194 दिनांक 18.12.2020 के रूप में पंजीकृत है।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की नवीनतम अंतरिम नीति के अनुसार पत्र संख्या 11013/2/2016/डी(भूमि), दिनांक 15-02-2021 के माध्यम से जारी किया गया, पट्टेदार श्री के. राजकुमार ने अपने पत्र दिनांक 29-04-2021 के माध्यम से जीएलआरएसवाई संख्या 389/9 में पट्टे के विस्तार के लिए अपनी इच्छा से अवगत कराया है, जो 01.01.2020 से 31.12.2021 की अवधि के लिए 2400 वर्ग फुट है तथा शासन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संशोधित दर पर भूमि पट्टा किराए का भुगतान करना।

इसके बाद, छावनी बोर्ड ने पट्टेदार को पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0861 के माध्यम से मांग नोटिस जारी किया है। दिनांक 04-05-2021 को 2400 वर्ग मीटर जीएलआरएस संख्या 389/9 में पैर की भूमि के संबंध में 01-01-2020 से 31-12-2021 की अवधि के लिए आवासीय दर पर पट्टे के किराए के बकाया के लिए 5,92,573 /- की राशि भेजने के लिए कहा। पट्टेदार ने सीबी रसीद संख्या 205 दिनांक 06-05-2021 और सीबी रसीद संख्या 311 दिनांक 25-05-2021 के माध्यम से 5,92,573 / - की पूरी राशि का भुगतान किया है।

चूंकि पट्टेदार श्री.के.राजकुमार ने पट्टे की पूरी अवधि (90 वर्ष) की समाप्ति की तिथि पर प्रचलित एसटीआर की संशोधित दर पर पट्टा किराए के बकाया का भुगतान किया है और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अंतरिम नीति के अनुसार दिए गए विस्तार की समाप्ति की तारीख, जीएलआरएस संख्या 389/9 में पट्टे का विस्तार, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी के 2400 वर्ग फुट को मापने के लिए अनुमोदित किया जाना है आवासीय उद्देश्य के लिए 01-01-2020 से 31-12-2021 तक की अवधि और डीजी, डीई पत्र संख्या 18/48/एल/डीई/57, दिनांक 18-02-2021 के माध्यम से प्राप्त सीएलएआर 1937 की अनुसूची IV में उपयुक्त रूप से संशोधित पट्टा समझौता निष्पादित और पंजीकृत किया जाना है।

संकल्प सं.11: माना और स्वीकृत किया गया।

12. सी पल्लावरम में इंदिरा गांधी रोड में यात्री बस शेल्टर का निर्माण

श्री टी एम अनबरसन, विधान सभा सदस्य, अलंदूर निर्वाचन क्षेत्र (अब माननीय ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग मंत्री) से प्राप्त पत्र संख्या शून्य दिनांक 12.11.2020 पर विचार करने के लिए और तमिलनाडु राज्य के लिए स्लम क्लियरेंस बोर्ड) इंदिरा गांधी रोड, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043 आम जनता का हित में यात्री बस शेल्टर के विध्वंस और पुनः निर्माण के लिए अपने विधायक निधि को 10,00,000 / - रुपये की राशि आवंटित करने का वचन देता है। इस संबंध में उन्होंने इस कार्यालय से विस्तृत अनुमान देने का अनुरोध किया।

इसके अलावा, संयुक्त निदेशक / परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चेंगलपेट जिला अपने पत्र संख्या 2783/2020/ए3 दिनांक 21-12-2020 के माध्यम से, इस कार्यालय को दिनांक 29-12-2020 को प्राप्त इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि इस कार्यालय को विषय कार्य हेतु विधायक निधि से 10,00,000/- रुपये की राशि आवंटित की गई है और इसलिए उन्होंने इस कार्यालय को विषय भूमि के स्वामित्व विवरण को दस्तावेजों, विस्तृत अनुमान और विषय कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करने के लिए कहा है।

जवाब में, इस कार्यालय ने पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/1/0251 दिनांक 12.02.2021 के माध्यम से उक्त प्राधिकारी को जीएलआरएस उद्धरण, विस्तृत अनुमान, सिफारिशें अग्रेषित की हैं।

इसके अलावा, जिला कलेक्टर, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चेंगलपेट जिला ने कुछ शर्तों के साथ विषय कार्य के लिए छावनी कोष में स्थानांतरित करने के लिए 10,00,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की है।

शर्तें नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. विस्तृत मूल्यांकन की तैयारी के बाद और तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद और अस्थायी निविदा द्वारा विषय कार्य शुरू किया जाएगा।
2. कार्य आवंटन का विवरण और विषय कार्य के लिए अनुमान दर्ज किया जाना चाहिए।
3. विषय कार्य सरकारी नियमों के अनुसार और इस परियोजना की शर्तों का पालन करते हुए निष्पादित किया जाना चाहिए।
4. इस कार्य की आवंटित राशि को संबंधित परियोजना खाते के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा किया जाना चाहिए।
5. ए4 साइज के फोटोग्राफ कार्य करने से पहले, कार्य करते समय और कार्य पूरा होने के बाद प्राधिकरण को भेजे जाने चाहिए।
6. पूरा काम 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।
7. प्रशासन की मंजूरी मिलने के 15 दिन के भीतर कायदेशि जारी कर दिया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंतिम परिणाम रिपोर्ट काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य का कार्य ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए।
9. टेंडर कॉल प्रक्रिया जीओ नंबर 392 दिनांक 18.08.2009 (वित्त वेतन), जीओ नंबर 307 दिनांक 01.11.2011 (वित्त वेतन), जीओ नंबर 243 दिनांक 21.08.2017 के अनुसार होनी चाहिए।
10. निविदा कॉल और कार्य आदेश जारी करने का विवरण जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चेंगलपेट जिला को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि, छावनी बोर्ड खाता नियम, 2020 के नियम संख्या 116 (2) के अनुसार, मूल कार्य के लिए तकनीकी अनुमानों की 10 लाख तक की अनुमानित लागत के तकनीकी अनुमानों की पुनरीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी कनिष्ठ अभियंता हैं और तदनुसार ऊपर उद्धृत अनुमानों का इस कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता द्वारा पुनरीक्षण किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए ई-निविदा को केन्द्रीय प्रापण पोर्टल (भारत सरकार, ऑनलाइन ई-प्रापण वेबसाइट) में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकार से उपरोक्त निधि की प्राप्ति के बाद विषय कार्य के लिए समाचार पत्र।

उपरोक्त प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देकर एवं नियमों का पालन करते हुए कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

बोर्ड आम जनता के लाभ और कल्याण में इस मामले पर विस्तार से विचार कर निर्णय ले सकता है। संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट तालिका में रखी गई है।

संकल्प सं.12: माना और स्वीकृत किया गया।

13. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

श्रीमती एलिजाबेथ वर्गीज, नंबर 40, जीएसटी रोड, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 से प्राप्त पत्र पर विचार करने के लिए दरवाजा संख्या 17, क्रीस स्ट्रीट, मीनांबक्कम, चेन्नई - 600 027 में निर्मित उनके भवन के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र का अनुरोध।

जीएलआरएस नंबर 387/19-ए वाली विषय भूमि, बी 3 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सी.पल्लावरम (वार्ड वी) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है और रक्षा संपदा अधिकारी, मद्रास सर्कल, चेन्नई के प्रबंधन के अधीन है।

यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने अपने सीबीआर संख्या 12 दिनांक 26.03.2019 के माध्यम से भूमि तल में 2765.50 वर्ग फुट और पहली मंजिल में 1850.00 वर्ग फुट के आवासीय भवन के प्रयोजन के लिए जीएलआरएस संख्या 387/19-ए वाली भूमि पर उक्त पार्टी को मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.06.2021 को इस कार्यालय के इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा निरीक्षण किया गया और पाया गया कि विषय स्थल पर स्वीकृत योजना से कोई विचलन नहीं है।

इसलिए, बोर्ड छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत श्रीमती एलिजाबेथ वर्गीज को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है।

संकल्प सं.13: श्रीमती एलिजाबेथ वर्गीज को लैंड बियरिंग डोर नंबर 17, क्रीस स्ट्रीट, मीनांबक्कम, चेन्नई - 600 027 में उनके द्वारा किए गए निर्माण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए माना और अनुमोदित किया गया।

14. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्रीमती एस.जमुना, संख्या 14/80-ए, कन्नगी स्ट्रीट, कलिंगर नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 16 से प्राप्त भवन आवेदन (योजना) दिनांक 27.04.2021 पर विचार करने के लिए प्रस्तावित विध्वंस के लिए अनुमति का अनुरोध और

भूतल में आवासीय भवन का पुनर्निर्माण और द्वार संख्या 14/80-ए, कन्नगी स्ट्रीट, कलैगनार नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में पहली मंजिल। सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर 11) में बाजार क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 264 भाग, आरएस नंबर 1910 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। ईई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, बिल्डिंग प्लान बिल्डिंग बायलॉज और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है।

संकल्प सं.14: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को धारा के तहत शर्तों के अनुरूप मंजूरी देने का संकल्प लिया और छावनी बोर्ड के उपनियमों और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

15. कोविड -19 के कारण देशव्यापी तालाबंदी की दिशा में पल्लावरम में पार्किंग शुल्क के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करना

संदर्भ: 1. वाहन पार्किंग निविदा के लाइसेंसधारी से प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक 10.05.2021.

अनुरक्षण के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट/छूट पर विचार करना और कोविड-19 के कारण कोविड प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण पल्लावरम में पार्किंग शुल्क की वसूली।

चल रही महामारी कोविड -19 के कारण, राज्य सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन दिशानिर्देशों को लागू किया गया था। इसलिए, कोई सार्वजनिक आंदोलन नहीं था जिसमें निजी वाहनों में वाहनों की आवाजाही और सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन (बसें, ट्रेन) शामिल थे।

इसके बाद, चूंकि सार्वजनिक यात्रा के लिए कोई बस और ट्रेन नहीं थी, जो लोग अपनी सुविधा के लिए पार्किंग की जगह का उपयोग करते थे, वे अनुपस्थित थे और इस प्रकार पार्किंग स्थलों का कोई उपयोग नहीं था जो केवल वाहनों की पार्किंग से राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं।

इसके अलावा, लाइसेंसधारी ने उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए अप्रैल, मई और जून 2021 से लाइसेंस शुल्क माफ करने का अनुरोध करते हुए इस कार्यालय (संदर्भ -1 के तहत उल्लिखित) को पत्र भी प्रस्तुत किया है। हालांकि, निविदा के लाइसेंस समझौते के बिंदु 4 के अनुसार, बोर्ड अनुरोध पर विचार कर सकता है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में पार्किंग शुल्क के रखरखाव और संग्रह के लिए लाइसेंस शुल्क की उपरोक्त स्थिति पर निर्णय और समाधान कर सकता है।

इस संबंध में संबंधित फाइलों को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं.15: बोर्ड ने मामले पर विस्तार से विचार किया और अप्रैल, मई और जून 2021 के महीने के लिए लाइसेंस शुल्क माफ करने का संकल्प लिया।

16. उपखंड

बाजार रोड में डी.सं.3/103 से 3/103-4 वाली संपत्ति के लिए अलग से अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध करने वाले निम्नलिखित आवेदक पर विचार करने के लिए, संपत्ति कर के भुगतान के लिए सेंट थॉमस माउंट श्रीमती जसवंत कौर के नाम पर है। प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान का वितरण इस प्रकार है: -

क्रम संख्या.	दरवाजा संख्या	नाम	ई.एआरवी	पी.एआरवी	टिप्पणियों
1.	3/103	जसवंत कौर	29,800	-	-
2.	3/103-1 3/103-2 3/103-3 3/103-4	जसवंत कौर	4,494 4,494 4,494 4,494	-	-
1.	3/103	के. धरम सिंह	-	16,390	डबल्यू.ई.एफ़. 01-04-2021
2.	3/103-ए	के. स्वर्ण सिंह	-	16,390	
3.	3/103-1 3/103-2	के. धरम सिंह	-	4,494 4,494	
4.	3/103-3 3/103-4	के. स्वर्ण सिंह	-	4,494 4,494	

संबंधित दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं.16: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने संकल्प लिया कि एजेंडे में उल्लिखित बी-2 पट्टा भूमि पर संपत्तियों के उप-विभाजन की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि यह विशुद्ध रूप से कराधान उद्देश्य के लिए है और अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को मान्य नहीं करता है, यदि कोई उक्त साइटों में शामिल है या तो पता चला है या पता नहीं चला है। बोर्ड ने आगे संकल्प किया कि उप-विभाजन प्रदान करना छावनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवेदकों द्वारा किए गए किसी भी अपराध को वैध बनाने के समान नहीं होगा और छावनी बोर्ड/रक्षा मंत्री/भारत सरकार के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

17. सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 85 श्रमिकों को रोजगार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए 85 श्रमिकों के लिए GEM के माध्यम से प्रकाशित निविदा पर GEM/2021/B/1209360 दिनांक 07-मई 2021 के माध्यम से प्रकाशित निविदा पर विचार करना।

कार्यालय रिपोर्ट :-

छावनी बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दैनिक वेतन पर सीएल को नियुक्त कर रहा है। सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम छावनी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 85 श्रमिकों के लिए 07 मई 2021 को जीईएम में निविदा प्रकाशित की गई थी। प्रत्युत्तर में 87 बोलीदाताओं ने तकनीकी बोली में भाग लिया। तकनीकी बोली विस्तृत जांच के बाद 04 जून 2021 को खोली गई थी और समिति द्वारा मूल्यांकन निम्नलिखित फर्मों को वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य पाया गया।

1. यूके सुरक्षा सेवाएं
2. बिमलराज आउट सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
3. वैश्विक कुल समाधान

वित्तीय बोली 24 जून 2021 को खोली गई और पाया गया कि L1 दरों को दो फर्मों द्वारा उद्धृत किया गया है। सिस्टम ने रु.2,49,29,437.50 (रुपये दो करोड़ उनचास लाख उनतीस हजार चार सौ सैंतीस और पचास पैसे मात्र) पये की उद्धृत राशि के लिए सफल बोलीदाता के रूप में मैसर्स यूके सिक्वोरिटी सर्विसेज, चेन्नई का चयन किया है।

बोर्ड निर्णय ले सकता है।

संकल्प सं.17: बोर्ड ने जेम के माध्यम से मैसर्स यूके सिक्वोरिटी सर्विसेज, चेन्नई द्वारा उद्धृत न्यूनतम राशि पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।

18. जीएलआरएस.सं.388/432-1 में लीज भूमि में से 1396.44 वर्ग फीट के हिस्से के वाणिज्यिक उपयोग की माफी/कंपाउंडिंग और सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम के जीएलआरएस नंबर 388/432-1 में कुल 4500 वर्ग फुट के पट्टे का नवीनीकरण करने के लिए।

संदर्भ: सीबीआर नंबर 6 दिनांक 01.02.2018.

छावनी बोर्ड ने अपने संकल्प संख्या 6 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा विचार किया है और सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी का जीएलआरएस नंबर 388/432-1 में 4500 वर्ग फुट की लीज भूमि के कुल क्षेत्रफल में से 1396.44 वर्ग फुट (77'-7" x 18'-0") के हिस्से के लिए आवासीय से वाणिज्यिक जैसे उद्देश्य के परिवर्तन की माफी / कंपाउंडिंग के लिए अनुमोदित।

नतीजतन, 1396.44 वर्ग फुट के हिस्से के संबंध में उद्देश्य के परिवर्तन को माफ करने/नियमित करने का प्रस्ताव और दिनांक 01.08.2008 से 30 वर्षों की अंतिम और अंतिम अवधि के लिए जीएलआरएस संख्या 388/432-1 में 4500 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल का नवीनीकरण पीडीडीई, एससी को इस कार्यालय पत्र संख्या एसटीएम/ एडीएम/पट्टा/17/1024 दिनांक 25.04.2018.

इस संबंध में, पीडीडीई, एससी ने अपने पत्र संख्या 189982/डीई/एससी/एल/सीबी/एसटीएम/388/432-1 दिनांक 29.05.2018 के माध्यम से हमें अग्रेषित करने के लिए कहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड का संकल्प 1396.44 वर्ग फुट के हिस्से के उद्देश्य के परिवर्तन की माफी के साथ-साथ कुल का नवीनीकरण सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी अंतिम बार के जीएलआरएस संख्या 388/432-1 में 4500 वर्ग फुट की लीज भूमि का है और 01.08.2008 से 30 वर्ष की अंतिम अवधि।

इसलिए, मामला छावनी बोर्ड को भेजा गया था और बोर्ड ने अपने सीबीआर संख्या 5 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से विचार किया है और 1396.44 वर्ग फुट (77'7" x 18'0") (कुल 4500 वर्ग फुट में से) के साथ-साथ कुल क्षेत्रफल के नवीकरण के लिए आवासीय से वाणिज्यिक जैसे उद्देश्य के परिवर्तन की माफी / समझौता के लिए अनुमोदन सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवरम छावनी के जीएलआरएस नंबर 388/432-1 में 4500 वर्ग फुट की लीज भूमि और 30 वर्ष की अंतिम अवधि 01-08-2008 से 31-07-2038 तक प्रभावी।

तत्पश्चात, इस कार्यालय ने पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/17/1510 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से पीडीडीई, एससी, पुणे को उत्तर दिया है।

इसके अलावा, पीडीडीई, एससी, पुणे ने अपने पत्र संख्या 18982 / डीई / एससी / एल / सीबी / एसटीएम / 388 / 432-1 दिनांक 28-05-2021 के माध्यम से इस कार्यालय को विषय पट्टा परिसर के संबंध में नवीनतम साइट निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए कहा है।

जवाब में, इस कार्यालय ने पत्र संख्या एसटीएम / एडीएम / लीज / 17 / 1113 दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से नवीनतम साइट निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित की है।

इसके अलावा, दिनांक 25.06.2021 को, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम छावनी के सीईओ के साथ निदेशालय, रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान, पुणे द्वारा उपरोक्त पट्टे की भूमि में उल्लंघनों की क्षमा / नियमितीकरण पर विचार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समिति की बैठक आयोजित की गई थी और सीईओ पुणे छावनी, समिति के सदस्य। समिति ने विषय पट्टे की संपत्ति के संबंध में मामले पर विचार किया है और इस कार्यालय को निर्देश दिया है कि इस मामले को बोर्ड को इस विवरण की पुष्टि करने के लिए भेजा जाए कि परिसर में सभी या किसी भी दुकान का उपयोग पट्टेदार की आजीविका या व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में इस कार्यालय ने परिसर का निरीक्षण किया है और पाया है कि सभी दुकानों को पट्टेदार द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए किराए पर दिया जा रहा है। अतः पट्टेदार प्रचलित एसटीआर दर के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के तहत भूमि की लागत का 15% अतिरिक्त चक्रवृद्धि शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इस संबंध में, इस कार्यालय ने पुष्टि की है कि आवासीय से वाणिज्यिक में उपयोग का परिवर्तन वर्ष 2014 के दौरान हुआ है और इसलिए इस कार्यालय ने इस कार्यालय के पत्र संख्या एसटीएम/एडीएम/लीज/1436 दिनांक 17.10.2014 के माध्यम से पट्टेदार को नोटिस जारी किया था और पट्टा/उल्लंघन के उक्त उल्लंघन के लिए एसटीएम/एडीएम/लीज/1764 दिनांक 11.12.2014. तथापि, 17.10.2014 से पूर्व परिसर में दुकानों/पट्टेदारों के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस का विवरण उपयोग परिवर्तन की वास्तविक तिथि जानने के लिए इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए दिनांक 17.10.2014 के नोटिस को अतिरिक्त कंपाउंडिंग शुल्क की गणना के उद्देश्य से उपयोग के परिवर्तन की वास्तविक तिथि के रूप में माना जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड उपरोक्त पुष्टि पर विचार कर सकता है और प्रधान निदेशालय, दक्षिणी कमान, पुणे को उनकी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज सकता है।

संबंधित फाइलें और कार्यालय की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है।

संकल्प सं.18: बोर्ड ने विचार किया और मंजूरी दी। पीडीडीई, एससी द्वारा अपेक्षित पुष्टि को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाना है।

sd/-
(ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

sd/-
(हर्षा एच. ई)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिनांक :28-06-2021

अंत